रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270870
SG-DL-E-12032026-270870

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 500
No. 80]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947	[N. C. T. D. No. 500

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मार्च, 2026

F.14 (104)/LA/2026/jtsecylaw/374-385.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2026 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का दिल्ली अधिनियम 03)

(09th Janaury, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

11th March, 2026

एक अधिनियम, जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने वाले दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में संशोधन करना है, भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में दिल्ली विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह उस तारीख से लागू होगा, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय किया जायेगा।

2. **दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में संशोधनः** दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 1954 का 7) (जिसे इसके बाद मुख्य अधिनियम कहा जाएगा) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके लागू होने के संबंध में नीचे बताए गए दायरे और तरीके से संशोधन किया जाता है।

3. धारा 1 में संशोधनः

मुख्य अधिनियम की धारा । में, उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात:- " (5) यह अधिनियम उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें बीस या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।"

4. धारा 2 में संशोधनः

मुख्य अधिनियम की धारा 2 में,उप-धारा (2) में, "बारहवें वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चौदहवें वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 8 में संशोधनः

(1) मुख्य अधिनियम की धारा 8 में, "नौ घंटे" शब्दों के स्थान पर "दस घंटे जिसमें आराम का अंतराल और दोपहर के भोजन का अवकाश शामिल है" शब्द रखे जाएंगे।

(2) मुख्य अधिनियम की धारा 8 में, पहले परंतुक में, "लेकिन किसी भी सप्ताह में 54 घंटे से अधिक नहीं, इस शर्त पर कि इस प्रकार काम किएगए कुल घंटे एक वर्ष में 150 घंटे से अधिक नहीं होंगे" शब्दों के स्थान पर "लेकिन किसी भी सप्ताह में साठ घंटे से अधिक नहीं, इस शर्त पर कि इस प्रकार कामकिए गए कुल घंटे एक तिमाही में एक सौ चौवालीस घंटे से अधिक नहीं होंगे" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 10 का संशोधनः

मुख्य अधिनियम की धारा 10 में, "पांच घंटे" शब्दों के स्थान पर "छह घंटे" शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 11 का संशोधनः

मुख्य अधिनियम की धारा 11 में, "किसी भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में साढ़े दस घंटे या किसी दुकान में बारह घंटे से अधिक" शब्दों के स्थान पर "बारह घंटे" शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 14 का प्रतिस्थापन:

मुख्य अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(1) किसी भी किशोर को किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारी के तौर पर या किसी और तरह से रात में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में काम करने का अधिकार होगा और उन्हें उनकी सहमति से गर्मियों के मौसम में रात 9.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच और सर्दियों के मौसम में रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे के बीच भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते उप-खंड (i) से (vi) में बताई गई शर्तें पूरी हों:-

(i) महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम पर रखने से पहले उनकी लिखित सहमति ज़रूरी होगी।

(ii) नियोक्ता नाइट शिफ्ट के दौरान महिला कर्मचारियों, जिसमें ठेकेदार के कर्मचारी भी शामिल हैं, को पर्याप्त CCTV निगरानी, सुरक्षा और उचित परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।

(iii) किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान का कोई भी नियोक्ता जानबूझकर किसी महिला को उसके प्रसव या गर्भपात के दिन के बाद छह हफ्तों तक किसी भी प्रतिष्ठान में काम पर नहीं रखेगा।

(iv) उप-धारा (2) में बताई गई अवधि के दौरान कम से कम दो महिला कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा।

(v) ऐसे दुकानों और प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।

(vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य शर्तें।"

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 11th March, 2026

F.14 (104)/LA/2026/jtsecylaw/374-385.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 23rd February, 2026 and is hereby published for general information:-.

THE DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ACT, 2026

(ACT No. 03 of 2026)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 09th Janaury, 2026).

[11th March, 2026]

An Act to amend the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, in its application to the National Territory of Delhi.

BE it enacted by Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Delhi Shops and Establishments (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force on such date as the Government of National Capital Territory of Delhi, may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954: The Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Act No. 7 of 1954) (hereinafter referred to as the Principal Act) is hereby amended to the extent and in the manner mentioned below in its application to the National Capital Territory of Delhi.

3. Amendment of Section 1:

In Section 1 of the Principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The Act shall be applicable to shops and establishments employing twenty or more employees."

4. Amendment of Section 2:

In Section 2 of the Principal Act, in sub-section (2), for the words "twelth year" shall be substituted by words "fourteenth year".

5. Amendment of Section 8:

(1) In Section 8 of the principal Act, for the words "nine hours", shall be substituted by the words the words "ten hours inclusive of rest interval and lunch break".

(2) In Section 8 of the Principal Act, in the first proviso, for the words "but not exceeding 54 hours in any week subject to the conditions that the aggregate hours so worked shall not exceed 150 hours in a year" shall be substituted by "but not exceeding sixty hours in any week subject to the conditions that the aggregate hours so worked shall not exceed one hundred forty four hours in a quarter".

6. Amendment of Section 10:

In Section 10 of the Principal Act, for the words "five hours" shall be substituted by the words "six hours".

7. Amendment of Section 11: In Section 11 of the Principal Act, for the words "ten and a half hours in any commercial establishment or for more than twelve hours in any shop" shall be substituted by the words "twelve hours".

8. Substitution of Section 14:

For Section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"(1) No young person shall be required or permitted to work whether as an employee or otherwise in any establishment during night.

(2) Women shall be entitled to be employed in all establishments to work and they may also be employed, with their consent between 9.00 PM to 7.00 AM during the summer season and between 8:00 PM to 8:00 AM during the winter season subject to the conditions at sub-clause (i) to (vi):-

(i) Written consent of women employees shall be required before employing them in night shifts.

(ii) The employer will provide adequate CCTV Surveillance, Security and proper Transport facility to the women employees including employees of contractors during the night shifts.

(iii) No employer of any shop or establishment shall knowingly employ a woman in any establishment during six weeks following the day of her confinement or miscarriage.

(iv) a minimum of two women employees shall be employed during the period mentioned in sub-section(2).

(v) The employer of such shops and establishment shall be required to abide by the provisions of Prevention of Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 as amended from time to time.

(vi) Such other conditions as may be notified in this regard by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time

REETESH SINGH, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.12 14:40:01 +05'30'